कार्यालय महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,उत्तर प्रदेश, छठा तल जवाहर भवन, लखनऊ

संख्या–एम0ई0–3 / 2014 / **2016** लखनऊःदिनांकः **09 अगस्त 2014**

सी0पी0एम0टी0–2014 की द्वितीय चक की काउसिलिंग की समय सारणी

काउंसिलिंग स्थल के नाम

1- Tele Medicine Center, S.G.P.G.I., Raibareily Road, Lucknow. Tel- 0522- 2495235
2- Tele Medicine Center, GSVM Medical College, Swaroop Nagar, Kanpur. Tel: 0512- 2535483
3- Tele Medicine Center, MLN Medical College, Louther Road, Allahabad. Tel. 0532- 2256507
4- Tele Medicine Center, L.L.R.M.Medical College Garh Road, Meerut. Tel:0121- 2760888

क. सं.	आमंत्रित अभ्यर्थी (स्टेट रैंक)	प्रमाण पत्रों के सत्यापन का दिनांक एवं पंजीकरण तिथि (किसी एक काउंसिलिंग केन्द्र पर) (समय प्रातः 9:.30 बजे से सायं 5.00 बजे तक)	काउंसिलिंग की तिथि	पाठ्यकम	सी0पी0एम0टी0–2014 में निर्धारित व्यवस्थानुसार अर्हता संबंधी विवरण
1	1– स्टेट रैंक (ओवर आल रैंक) 01 से 1500 तक के अन्तर्गत आने वाले Gen, OBC श्रेणी के सभी अभ्यर्थी। 2– स्टेट रैंक (ओवर आल रैंक) 01 से 6500 तक के अन्तर्गत आने वाले:– (a)- SC, ST श्रेणी के सभी अभ्यर्थी। (b)- PH, EA, FF, NCC उपश्रेणी के अभ्यर्थी (Gen, OBC, SC, ST)	12.8.2014 (दिन मंगलवार)	13.8.2014 (दिन बुधवार)	MBBS, BDS (शासकीय सीटें)	Gen- अनारक्षित (सामान्य) (OP, GL, FF, NC, EA) candidates up to 50% marks = 100 marks Gen (PH) candidates- Up to 45% marks = 90 marks OBC (OP, GL, FF, NC, EA, PH) candidates- Upto 40% marks = 80 marks SC (OP, GL, FF, NC, EA, PH) candidates- Upto 40% marks = 80 marks ST- All candidates upto 40% marks= 80 marks
2	1– स्टेट रैंक (ओवर आल रैंक) 6501 से 12000 तक के अन्तर्गत आने वाले SC श्रेणी के सभी अभ्यर्थी। 2– ST श्रेणी के समस्त अर्ह अभ्यर्थी। 3– PH, EA, FF, NCC सभी अर्ह अभ्यर्थी (Gen, OBC, SC, ST)	13.8.2014 (दिन बुधवार)	14.8.2014 (दिन गुरूवार)	––तदैव––	

(**Gen** -सामान्य (अनारक्षित) **OBC**-अन्य पिछडा वर्ग **SC**-अनुसूचित जाति **ST**- अनुसूचित जनजाति **FF**-स्वंतन्त्रता संग्राम सेनानी **EA**- भूतपूर्व सैनिक के आश्रित **PH**-विकलांग, **NCC**–एन0सी0सी0 **GL**–महिला)

नोट– प्रथम काउंसिलिंग में भाग ले चुके अथवा अपने प्रमाण पत्रों की जॉच करा चुके अभ्यर्थी अपने पूर्व काउंसिलिंग केन्द्र पर ही उपस्थित होंगे, (Counseling venue will not be changed in second round of counseling)। नए अभ्यर्थी प्रथमतः प्रमाण पत्रों की जॉच तथा पंजीकरण उपरोक्त में से अपनी सुविधानुसार निर्धारित तिथि को किसी काउंसिलिंग केन्द्र पर करा सकते हैं, तत्पश्चात अर्ह पाये जाने पर उसी काउंसिलिंग केन्द्र पर प्रातः 09:30 बजे काउंसिलिंग हेतु उपस्थित होंगे।

अभ्यर्थियों हेतु सामान्य निर्देश

- 1– काउंसिलिंग में भाग लेने हेतु काउसिलिंग शुल्क के रूप में रूपये–500/–(रूपये पॉच सौ मात्र) तथा धरोहर धनराशि रूपया–5,000/–(रूपये पांच हजार मात्र) है, काउंसिलिंग शुल्क रूपये 500/– Non Refundable है, **जिसे भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से निम्न प्रकियानुसार जमा किया जाना होगाः–**
- **सी0पी0एम0टी0–2014 की प्रथम चक की काउंसिलिंग हेतु दिनांक 31 जुलाई 2014 से 07 अगस्त 2014 के मध्य जिन अभ्यर्थियों द्वारा सिक्योरिटी धनराशि रू0 5000/– तथा काउंसिलिंग शुल्क रू0 500/– जमा किया गया है, द्वारा निम्न विकल्पों में से किसी एक विकल्प के अनुसार शुल्क जमा करना होगा :–**
  - **(अ) जिन अभ्यर्थियों ने प्रथम काउंसिलिंग से आवंटन के पश्चात संबंधित कालेजों में प्रवेश प्राप्त कर लिया है, उन्हे काउंसिलिंग शुल्क मात्र रू0 500/– जमा करना होगा।**
  - **(ब) प्रथम चक की काउंसिलिंग हेतु भारतीय स्टेट बैंक में शुल्क जमा कर चुके (पंजीकृत) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हे कोई आवंटन प्राप्त नहीं हो सका है, उन्हे काउंसिलिंग शुल्क मात्र रू0 500/– जमा करना होगा।**
  - **(स) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होने प्रथम चक की काउंसिलिंग से आवंटन के पश्चात संबंधित कालेजों में प्रवेश प्राप्त नहीं किया है, उन्हे सिक्योरिटी धनराशि रू0 5000/– तथा काउंसिलिंग शुल्क रू0 500/– जमा करना होगा।**
  - **(द) द्वितीय चक की काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने वाले अन्य आमंत्रित अभ्यर्थियों (Fresh candidates) को सिक्योरिटी धनराशि रू0 5000/– तथा काउंसिलिंग शुल्क रू0 500/– जमा करना होगा।**
- काउंसिलिंग शुल्क का भुगतान ऑनलाईन पेमेन्ट एवं ऑफलाईन पेमेन्ट के माध्यम से किया जा सकता है जिसकी प्रक्रिया निम्नवत हैः–
- शुल्क जमा करने हेतु कम्प्यूटर, इण्टरनेट कनेक्शन एवं प्रिण्टर की आवश्यकता होगी।
- **अभ्यर्थी अपनी अर्हता का आंकलन सी0पी0एम0टी0–2014 के ब्रोशर में निर्धारित व्यवस्थानुसार स्वयं करते हुए शुल्क जमा करना सुनिश्चित करें।**
- **काउंसिलिंग शुल्क तथा सिक्योरिटी शुल्क दिनांक 10 अगस्त 2014 से जमा किया जा सकता है।**
- शुल्क जमा करने की वेबसाईट **www.updgme.in** अथवा **http://www.onlinesbi.com/prelogin/icollecthome.htm** है।
  (क) आनलाईन पेमेन्ट– डेबिट/क्रेडिट कार्ड/नेटबैंकिंग का प्रयोग करें (किसी भी बैंक का)
- ऑनलाईन भुगतान करने हेतु स्टेप्स निम्नवत हैंः–

www.updgme.in के माध्यम से शुल्क जमा करने की प्रक्रिया	**http://www.onlinesbi.com/prelogin/icollecthome.htm** के माध्यम से शुल्क जमा करने की प्रक्रिया

वेबसाईट www.updgme.in/CPMTCOUNSELLING पर लॉगइन करें।	वेबसाईट http://www.onlinesbi.com/prelogin/ icollecthome.htm पर लॉग इन करें।
Select Payment Category: CPMTCOUNSELLING FEE	Select State: as Uttar Pradesh
Enter Roll Number	Select : Educational Institution
	Select : Director General Medical Education and training
	selection process/fee category name
	Enter Roll Number
स्क्रीन पर छात्र के Basic Details प्रदर्शित होंगे, जिन्हे आप verify करेंगे। Refund हेतु छात्र अपनी Bank Details भरेंगे। भुगतान हेतु विकल्प स्क्रीन पर प्रदर्शित होंगे, जिसमे SBI इण्टरनेट बैंकिंग, एस0बी0आई0 डेबिट कार्ड, अन्य बैंकों के डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड तथा भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा में नकद धनराशि जमा करने के विकल्प उपलब्ध होंगे। यदि ऑनलाईन माध्यम से भुगतान की प्रक्रिया का चयन किया गया है तो उपरोक्त में से चयनित विकल्प के अनुसार स्क्रीन पर बैंक, डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड से संबंधित आई0डी0 और पासवर्ड की सूचना भरे जाने पर ही भुगतान सुनिश्चित होगा। ऑफलाईन प्रक्रिया: यदि Cash (नकद) भुगतान की प्रक्रिया का चयन किया गया है तो छात्र ई–चालान के प्रिण्ट आऊट के माध्यम से भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा में धनराशि जमा कर सकता है।	

आफलाईन प्रक्रिया से भुगतान करने की दशा में उपरोक्त दर्शायी गयी प्रक्रिया के अनुसार अभ्यर्थी ई–चालान के प्रिण्ट आऊट के साथ भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा में काउंसिलिंग शुल्क रू0 500/– तथा सिक्योरिटी धनराशि रू0 5000/– जमा कर सकता है। अभ्यर्थी द्वारा उक्त धनराशि बैंक में जमा होने संबंधी चालान की मूल प्रति काउंसिलिंग स्थल पर प्रस्तुत करना होगा अथवा छात्र को अपना Transaction Number, जो दस अंको (उदाहरणार्थ DUxxxxxxxx) का होगा, काउंसिलिंग हेतु पंजीकरण के समय बताना होगा, कृपया सभी अभ्यर्थी अपना Transaction Number नोट करना सुनिश्चित करें।

2– सी0पी0एम0टी0 2014 की प्रथम काउंसिलिंग के माध्यम से आवंटित छात्र/छात्राओं को प्रधानाचार्य द्वारा निर्गत अनापत्ति (N.O.C) काउंसिलिंग के समय प्रस्तुत करनी होगी।

3– सी0पी0एम0टी0–2014 की द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग में बी0ए0एम0एस0, बी0एच0एम0एस0 तथा बी0यू0एम0एस0 पाठ्यक्रम की सीटों पर आवंटन की कार्यवाही नहीं की जाएगी। इन सीटों पर काउंसिलिंग हेतु सूचना अलग से समाचार पत्रों/वेबसाईट www.updgme.in पर प्रकाशित की जाएगी।

4– **सी0पी0एम0टी0–2014 में अर्ह घोषित किए गए विकलांग श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थी, जो दिनांक 01 अगस्त 2014 को गठित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके थे, ऐसे अभ्यर्थी दिनांक 11 अगस्त 2014 (दिन सोमवार) को किंग जार्ज विश्वविद्यालय, लखनऊ तथा मेडिकल कालेज, कानपुर/**

<u>आगरा/इलाहाबाद/मेरठ/झाँसी/गोरखपुर में से अपनी सुविधानुसार किसी भी मेडिकल कालेज में उपस्थित होकर विकलांगता प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं।</u>

5– अभ्यर्थियों की सिक्योरिटी धनराशि रू0 5000/– की वापसी ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से उनके खाते में दिनांक 15 नवम्बर 2014 से 31 दिसम्बर 2014 के मध्य की जाएगी।

6– काउसिंलिग हेतु अलग से कोई सूचना (काल लेटर) प्रेषित नही की जायेगी। प्रकाशित सूचना तथा website www.updgme.in पर उपलब्ध सूचना के आधार पर काउसिंलिग हेतु उपस्थित होना होगा ।

7– श्रेणी विशेष की निर्धारित सीटें समाप्त होने पर उस श्रेणी की काउसिंलिग समाप्त कर दी जायेगी।

8– काउसिंलिग बोर्ड का निर्णय प्रत्येक प्रकरण में अंतिम व मान्य होगा।

9– काउसिंलिग के समय अर्हता सम्बन्धी सभी मूल प्रमाण पत्र (आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी प्रमाण पत्र सहित) तथा उनकी एक–एक स्वप्रमाणित प्रतिलिपि एवं सी0पी0एम0टी0–2014 के आवेदन पत्र पर चस्पा की गयी फोटो की 04 प्रतियां तथा सी0पी0एम0टी0–2014 का प्रवेश पत्र मूल रूप में साथ लाना आवश्यक है। अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थी जाति प्रमाण पत्र जो दिनांक **31 मार्च 2014** के बाद का बना हो, तथा जिसमें क्रिमीलेयर में न होने का प्रमाण भी अंकित हो, मूल रूप में लाना सुनिश्चित करें। **<u>मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने पर काउंसिलिंग में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।</u>**

10– अखिल भारतीय कोटा–2014 की काउंसिलिंग के माध्यम से प्रवेशित ऐसे छात्र, जिन्हे सी0पी0एम0टी0–2014 की प्रथम चक्र की काउंसिलिंग में उनके द्वारा प्रस्तुत संबंधित कालेजों के प्रधानाचार्यों की अनापत्ति प्रमाण पत्र (N.O.C)/आवंटन संबधी सुसंगत साक्ष्य प्रस्तुत करने के आधार पर आवंटन प्रदान किया गया है, ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा उनके मूल प्रमाण पत्र सी0पी0एम0टी0 2014 की प्रथम काउंसिलिंग से आवंटित कालेज में जमा होने संबंधी संबंधित कालेजों के प्रधानाचार्यों द्वारा निर्गत अनापत्ति, जिसमें समस्त मूल अभिलेख जमा किए जाने का उल्लेख हो, काउंसिलिंग के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त अभिलेख प्रस्तुत न करने की दशा में ऐसे अभ्यर्थियों को अपने मूल प्रमाण पत्र काउंसिलिंग के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। **<u>उक्त अभिलेख प्रस्तुत न करने पर काउंसिलिंग में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।</u>**

11– अन्य निर्देश तथा विवरण इस कार्यालय की बेवसाइट www.updgme.in पर उपलब्ध है।

महानिदेशक

संख्या–एम0ई0–3/2014/**2017–34** तद्दिनांक।

प्रतिलिपि,निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव,उत्तर प्रदेश शासन,चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2
2. समस्त सदस्य काउसिंलिंग बोर्ड, सी0पी0एम0टी0–2014
3. निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि काउंसिलिंग हेतु आवश्यक व्यवस्था/तकनीकी स्टाफ उपलब्ध कराए जाने हेतु सम्बन्धित नोडल अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
4. नोडल अधिकारी, टेली मेडिसिन केन्द्र, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ।
5. काउसिंलिंग केन्द्र प्रभारी, राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर, इलाहाबाद तथा मेरठ।
6. निदेशक, दूरदर्शन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार सूचना प्रातः एवं सांयकालीन प्रसारण मे लगातार दो दिनों तक प्रसारित करने का कष्ट करें।

7 निदेशक, आकाशवाणी लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार सूचना प्रातः एवं सांयकालीन प्रसारण मे लगातार दो दिनों तक प्रसारित करने का कष्ट करें।

8. कुलसचिव, किंग जार्ज विश्वविद्यालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।

9. निजी सचिव, माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा को इस आशय से प्रेषित कि उक्तानुसार मा0 मंत्री जी को अवगत कराने का कष्ट करें।

10. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार सूचना इस महानिदेशालय की वेबसाइट. www.updgme.in पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।

11. मेसर्स एम0एम0 एडवरटाइजिंग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त सूचना दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर तथा झांसी, दैनिक हिन्दुस्तान के इलाहाबाद वाराणसी तथा बरेली एवं अमर उजाला के आगरा मुरादाबाद अलीगढ, मेरठ के सस्करणों में तथा हिन्दुस्तान टाइम्स (अंग्रेजी) के लखनऊ संस्करण में **दिनांक 10.8.2014** को सूक्ष्म अक्षरों, न्यूनतम स्थान एवं डी0ए0वी0पी0 दरों पर प्रकाशित कराने का कष्ट करें। प्रकाशनोपरान्त प्रकाशित प्रतियों सहित बिल भुगतान हेतु इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

12. प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, कानपुर, आगरा, इलाहाबाद, मेरठ, झॉसी, गोरखपुर, अम्बेडकरनगर, कन्नौज, जालौन तथा आजमगढ़।

13. निदेशक, उ0प्र0ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई, इटावा।

14. शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, जवाहर भवन, लखनऊ।

15. अपर निदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0।

16. आहरण–वितरण अधिकारी/कैशियर, चिकित्सा शिक्षा।

17. महानिदेशक के शिविर सहायक को सूचनार्थ।

18. नाजिर, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त काउंसिलिंग तिथियों में आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करें।

(सुनीति राज मिश्रा)
संयुक्त निदेशक
कृते महानिदेशक